भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3137
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

3137. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण के संबंध में दर्ज शिकायतों की संख्या और ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) महाराष्ट्र में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) की कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार का नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या महाराष्ट्र में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है;
(ड.) यदि हां, तो उक्त योजना के तहत लाभार्थियों की जिलेवार संख्या और ब्यौरा क्या है; और
(च) महाराष्ट्र में पीडीएस के तहत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किए गए तकनीकी सुधारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत संचालित होती है और इसका संचालन केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का आबंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कार्य की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन संबंधित दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों का होता हैं।

...2/-

जब भी इस विभाग को किसी भी स्रोत से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को भेज दिया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, प्राप्त लगभग 3791 शिकायतों में से 3575 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और राज्य में 51573 एफपीएस हैं।

(ग): महाराष्ट्र में कोई नई एफपीएस खोलने का प्रस्ताव नहीं है। किन्तु राज्य की नीति के अनुसार, उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद मौजूदा एफपीएस का त्याग कर देने और इसे रद्द करने के बाद नई एफपीएस को मंजूरी दी जाती है।

(घ) से (ड.): वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) दिनांक 01 जनवरी, 2020 से महाराष्ट्र में लागू किया गया है। ओएनओआरसी के तहत, राज्य में औसतन 12 लाख राशन कार्ड धारक एक महीने में खाद्यान्न उठा रहे हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र के 1,13,718 राशन कार्ड धारकों ने अन्य राज्यों में अनाज उठाया है और अन्य राज्यों के 13,64,850 राशन कार्ड धारकों ने जनवरी, 2020 से फरवरी 2025 तक महाराष्ट्र में अनाज उठाया है।

(च): राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना और पीडीएस वस्तुओं के वितरण में गड़बड़ियों को समाप्त करने के लिए लाभार्थी की बायोमेट्रिक पहचान को प्रमाणित करके पीडीएस का एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण किया है। पात्र लाभार्थियों को उनके खाद्यान्न अधिकारों के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

*****